Madhya Pradesh Civil Judge (Mains) 2021

Article & Summary Writing · compulsory paper

Second Question Paper · Time Allowed – 3:00 Hours · Maximum Marks – 100

Instructions

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Question No. 1 [20 marks]

Write an article in Hindi or English on any one of the following *social* topics:
निम्नलिखित *सामाजिक* विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:

(i) Water scarcity in India.
भारत में जल दुर्लभता।
(ii) Clean India- Challenges and Remedies
स्वच्छ भारत– चुनौतियां एवं समाधान

Question No. 2 [20 marks]

Write an article in Hindi or English on any one of the following *legal* topics:-
निम्नलिखित *विधिक* विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :

(i) Marital rape and its criminality in India.
वैवाहिक बलात्संग और भारत में इसकी अपराधिता।
(ii) Mediation- New hope towards inexpensive and speedy dispute resolution.
मध्यस्थता– सस्ते एवं त्वरित विवाद निराकरण की ओर नई उम्मीद।

Question No. 3 [20 marks]

Summarize any one of the following English /Hindi passage –
निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए –

It is a fact that unauthorised constructions are mushrooming in cities every day. In number of suits filed and pending against Municipal Corporations or Government bodies restricting the authorities from removing the unauthorised construction, interim reliefs continue for years, may be because in some cases the authorities do not file written statements or reply promptly or they do not move to the Court for vacating the interim reliefs. Fact remains that unauthorised constructions are regularly put up and the interim reliefs continue without any hindrance. Such order are having the effect of allowing the plaintiff to enjoy the fruits of his illegal actions including unauthorised construction. The result is that implementation of law suffers. This also tends to vacillate the faith of public at large in the justice delivery system and clearly undermines the Rule of Law. The Hon'ble Apex Court has deprecated the practice of continuation of interim relief without any hindrance for years together in **Asian Resurfacing of Road Agency v. Central Bureau of Investigation, AIR 2018 SC 2039** wherein It has been held that, "In cases where stay is granted in future the same will end on expiry of six months from the date of such order unless similar extension is granted by speaking order. The speaking order must show that the case was of such exceptional nature that continuing the stay was more important than having the trial finalized. Whatever stay has been granted by any Court including the High Court automatically expires within a period of six months, and unless extension is granted for good reason, within the next six months, trial court is, on the expiry of the first period of six months, to set date for the trial and go ahead with the same."

Issuance of an injunction is a discretionary and an equitable relief. It is not mandatory that such relief should be granted upon merely asking. It is not a charity at the cost of public interest. The stay order or interim injunction in case of unauthorised construction affects the society as a whole and administration of Municipal Corporations. Time and again the Hon'ble Apex Court has emphasized that "no compromise should be made with the town planning scheme and no relief should be given to the violator of the town planning scheme, etc., on the ground that he has spent substantial amount on the construction of the buildings. The Courts must see that the violators of law are not liberally be allowed to take protection of Court of law by obtaining ad interim injunctions which have the effect of continuing such violation resulting in infringement of right to life enshrined in Article 21 of the Constitution of India.

In suits filed and pending against Municipal Corporations or Government bodies restricting the authorities from removing the unauthorised construction, the Court should first consider whether the suit itself could be entertained on the basis of averments in the plaint. It is needless to say that the procedure established by law has to be followed by the public authorities, whether it be the State or a local body, including the Municipal Corporations. But at the same time, the procedural lapses, unintentional or intentional, which do not seriously affect the substantive rights of a person, ought not to result in ad interim orders which protect illegality having already been committed by the plaintiff and to give licence of continuing fruits of such illegality for years.

अथवा / OR

यह सत्यता है कि शहरों में प्रतिदिन अप्राधिकृत निर्माण कुकरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। नगर निगमों या शासकीय निकायों के विरुद्ध प्रस्तुत एवं लंबित अनेकों दावे, जिनमें प्राधिकारियों को अप्राधिकृत निर्माण हटाने से निर्बन्धित किया गया है, अन्तरिम अनुतोष वर्षों तक जारी रहता है, ऐसा कुछ मामलों में प्राधिकारियों द्वारा तत्परता से लिखित कथन या जवाब प्रस्तुत न करने या उनके द्वारा अन्तरिम अनुतोष हटवाने के लिए न्यायालय में न जाने से हो सकता है। यह तथ्य बना रहता है कि अप्राधिकृत निर्माण नियमित रूप से खड़े किए जाते हैं और अन्तरिम अनुतोष बिना किसी व्यवधान के जारी रहता है। ऐसे आदेशों का प्रभाव वादी को उसके अवैध

कृत्यों जिसमें अप्राधिकृत निर्माण शामिल है, के फलों को भोग करने की अनुज्ञा देने का है। परिणाम यह है कि विधि का क्रियान्वयन सहन करता है। इसकी प्रवृत्ति वृहद् रूप से लोगों के न्याय वितरण प्रणाली में भरोसे को हिलाने और विधि के शासन को स्पष्ट रूप से कमजोर भी करने की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी व्यवधान के वर्षों तक अन्तरिम अनुतोष जारी रखने की परिपाटी की **एशियन रीसरफेसिंग आफ रोड एजेंसी वि० सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन, AIR 2018 सु०को० 2039** में निंदा की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "भविष्य में, ऐसे मामलों में जिनमें स्थगन दिया गया है, वे ऐसे आदेश की दिनांक से 06 माह व्यपगत् होने पर समाप्त हो जावेगा, जब तक कि सकारण आदेश द्वारा समरूप विस्तार न दिया गया हो। सकारण आदेश में यह दर्शित होना चाहिए कि मामला ऐसी आपवादिक प्रकृति का था कि स्थगन जारी रखना विचारण अंत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी स्थगन छः माह के भीतर स्वतः व्यपगत हो जावेगा, और जब तक कि किसी अच्छे कारण से विस्तारित न कर दिया गया हो, आगामी छः माह के भीतर, विचारण न्यायालय, प्रथम छः माह के व्यपगत् होने पर, विचारण के लिए दिनांक नियत करेगी और उसी के साथ आगे बढ़ेगी।"

व्यादेश का जारी किया जाना एक विवेकाधीन एवं साम्यिक अनुतोष है। ऐसा आदेशात्मक नहीं है कि केवल मांगने भर से ऐसा अनुतोष दिया जाना चाहिए। यह लोक हित की कीमत पर खैरात नहीं है। स्थगन आदेश या अंतरिम व्यादेश, अप्राधिकृत निर्माण के मामले में समाज को और नगर निगम प्रशासन को समग्र रूप से प्रभावित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि "नगर योजना प्रणाली से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और नगर योजना प्रणाली, आदि, का उल्लंघन करने वाले को इस आधार पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जाना चाहिए कि उसने भवनों के निर्माण पर सारवान् राशि व्यय की है। न्यायालयों को यह अवश्य देखना चाहिए कि विधि का उल्लंघन करने वाले को उदारतापूर्वक न्यायालय से अन्तरिम व्यादेश प्राप्त कर, संरक्षण की अनुज्ञा न प्राप्त करें जिसका प्रभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

नगर निगमों या शासकीय निकायों के विरुद्ध उन्हें अप्राधिकृत निर्माण हटाने से निर्बन्धित करने हेतु प्रस्तुत एवं लंबित वादों में न्यायालयों को सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि क्या वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर स्वयं वाद ग्रहण किया जा सकता है। यह कहना अनावश्यक है कि लोक प्राधिकारियों द्वारा, चाहे वह राज्य या स्थानीय निकाय, नगर निगमों सहित, हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ–साथ प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ, आशयित या अनाशयित, जो किसी व्यक्ति के सारवान् अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करतीं, अन्तरिम आदेशों में फलित नहीं होनी चाहिए, जो वादी द्वारा पहले से ही कारित अवैधता को संरक्षित करती हैं और वर्षों तक ऐसी अवैधता के फलों को जारी रखने की अनुज्ञप्ति देती हैं।

Question No. 4 [20 marks]

Translate the following 20 Sentences into English :-
निम्नलिखित 20 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :–

1. वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य जंगम सम्पत्ति हो, तो उसकी कुर्की अभिग्रहण द्वारा की जायेगी।
2. कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा।
3. "न्यायालय" शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।
4. ऐसा क्या किया जाये कि यूक्रेन–रूस का युद्ध रोका जा सके ?
5. प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के दुरुपयोग एवं अतिउपयोग के परिणामस्वरूप ही आज हम बर्बादी की कगार पर हैं।
6. सम्पत्ति में का ऐसा हित, जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बन्धित है, उसके द्वारा अन्तरित नहीं किया जा सकता।
7. जहां तक हमारे अधिकारों का सवाल है, वे प्रजातंत्र में पूर्णतः संरक्षित हैं।
8. 'वसीयत' से अभिप्रेत हैं, वसीयतकर्ता की उसकी सम्पत्ति की बाबत् विधिक घोषणा जो उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रभाव में ली जाने के लिये वांछित हैं।
9. 'न्यायिकेतर–संस्वीकृति', एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और संपोषक साक्ष्य के अभाव में उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये।
10. प्रत्येक बाल–विवाह, जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।

11. निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन और निर्धनता की जांच करने के खर्चे वाद के खर्चे होंगे।
12. न्यायालय, निर्णीत ऋणी के शरीर और संपत्ति के विरुद्ध एक साथ निष्पादन करने से इंकार, स्वविवेकानुसार कर सकेगा।
13. आवेदन किये जाने पर मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुये गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकेगा कि ऐसे छोड़े गये व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाये।
14. कोई भी व्यक्ति दत्तक लिये जाने के योग्य न होगा, जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों।
15. मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा ऐसा आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होने के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर की होगी।
16. नीलामी–विक्रय को इसे प्रकाशित करने या संचालित करने में तात्विक अनियमितता या छल के आधार पर अपास्त किया जा सकता है।
17. वादी को आवश्यक पक्षकार के संयोजन का अवसर दिये बिना वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
18. अपराध स्थल पर अपीलार्थीगण की उपस्थिति को साबित करने के लिए उनके विरुद्ध विधि–विज्ञानी साक्ष्य अपर्याप्त है।
19. रामेश्वर सिंह अ.सा. 01 की निशानदेही पर पूछताछ किये जाने पर एक बुशर्ट, पेन्ट्स, टेरीकॉट का एक पेन्ट का टुकड़ा जो दुकान से चुरा लिया गया था, बरामद हुए थे।
20. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता कि परशुराम सिंह की मृत्यु दुर्घटनात्मक मृत्यु थी।

Question No. 5 [20 marks]

Translate the following 20 Sentences into Hindi :-
निम्नलिखित 20 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :–

1. Every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period of limitation shall be dismissed although limitation has not been set up as a defence.
2. A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust can not be specifically enforced.
3. The opinion or report given by the expert shall form part of the record of the suit.
4. All the constitutional authorities are supposed to be loyal to the duties discharged by them.
5. The Appellate court enjoys the power to dismiss the appeal without notice to the Lower court.
6. "Judgment- debtor" means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made.
7. Confessional statement of co- accused cannot by itself be taken as substantive piece of evidence against another co-accused.
8. "Heir" means any person, male or female, who is entitled to succeed to the property of an intestate under this Act.
9. A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him.
10. A dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section.
11. While deciding the bail application on the basis of parity, the role of accused in offence is most important aspect.
12. "Lawful increase" means an increase in rent permitted under the provisions of this act.
13. There shall be only one class of tenure-holders of land held from the state to be known as Bhumiswami.
14. As a bird cannot fly with one wing, similarly Nation can not rise leaving women behind.

15. Dismissal of the suit by the trial court on the ground that it is barred by limitation is illegal and the same deserves to be restored.
16. The testimony of police personnel should be treated in the same manner as testimony of any other witness.
17. Magistrate should mention the reason that why he has no option but to dismiss the complaint.
18. The plaintiff has filed the present suit for recovery of money based on promissory note executed by the defendant in his favour.
19. It is not the case of accused that he either signed the cheque or parted with it under any threat or coercion.
20. Concept of insurance for a motor vehicle is to cover risk in case of an accident.

De Facto IAS